प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

सत्यमेव जयते

PM/VI/2011-12/OG-GO/

दिनांक / Date :

To
The Director of Treasuries and Accounts
4th floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
Hyderabad

Sir,

Sub:- Forwarding of DR of VI Pay Commissioner pensioners revised from time to time.

Ref:- 1.Govt. of Chattisgarh Finance & Planning No 193/293/FIN/Rule/IV/2011 Dt 21.06.2011

2. Accountant General (A&E) Chattisgarh SSA NO PA/Genl/DR/373 dt. 16.06.2012

***

I am herewith enclosing a Special Seal Authority issued by the Accountant General (A&E), Chattisgarh in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Sr Accounts Officer

Copy To
Joint Director,
M J Road, Jambagh
Pension Payment Office,
Nampally,
Hyderabad

for information and necessary action.

Sr Accounts Officer

कार्यालय महालेखाकार

छत्तीसगढ़, रायपुर

कि. मु. प्रा. के अंतर्गत

PM

क्र.पी.ए./सामान्य/राहत आदेश/ 373 दिनांक 16-06-12

PM

प्रति,

उपमहालेखाकार (पेंशन)
कार्यालय महालेखाकार
(लेखा एवं हक.)
हैदराबाद, सईफाबाद
आन्ध्र प्रदेश - 500463.

8876134225
29.6.12

विषय :- छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को पुनरीक्षित एवं पेंशन पर राहत आदेश जारी करने बाबत।

216034
5/7/12

संदर्भ :- छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर का पत्र क्रं. 200/293/वित्त/नियम/चार/2012 दिनांक 08-06-2012

महोदय,

छत्तीसगढ़ राज्य के वित्त मंत्रालय के आदेश नं. 193/293/वित्त/नियम/चार-2011 दिनांक 21-06-2012 आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित कर सूचित किया जा रहा है कि राहत .... दिनांक संदर्भित पत्र से प्रभावशील है अतः आदेशों में दिये गये निर्देशों का पालन करें एवं इन आदेशों का वितरण अपने अधीनस्थ उपकोषालयों एवं बैंको को अपने स्तर से करें। कृपया इसकी पावती भेजने का कष्ट करें। छ. ग वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के अंतर्गत अप्रत्याशित पेंशन प्राप्त करनेवालों को मँहगाई राहत:

01-01-09 - 54% 01-10-09 - 64%
01-04-10 - 73% 01-10-10 - 87%
01-04-11 - 103% की दर से देय.

लेखा अधिकारी/पी.ए.

संलग्न - उपरोक्तानुसार

पृ.क्र.पी.ए. / सामान्य/राहत आदेश / दिनांक ....

1. उपसचिव, वित्त एवं योजना विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.) की ओर उनके पत्र क्रं. 200/293/वित्त/नियम/चार/2012 दिनांक 08-06-12 के संदर्भ में सूचनार्थ।

2. संचालक कोष लेखा एवं पेंशन रायपुर छ.ग. की ओर अग्रेषित कर लेख है कि कृपया सुनिश्चित करें कि भी कोषालयों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी पेंशनरों को उपरोक्तानुसार भुगतान किया जा रहा है।

हस्ता०

लेखा अधिकारी/पी.ए.

O/O. A.G. (A & E) HYDERABAD-500 004. 3 JUL 2012

वित्त निर्देश- 25/2011

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन,
मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक 193/293/वित्त/नियम/चार/2011, रायपुर दिनांक 21 जून, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़, रायपुर ।

विषय :- छ.ग.वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के अन्तर्गत प्रत्याशित पेंशन /पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को मंहगाई राहत ।

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों को वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 156/352/वित्त/नियम/चार/2008, दिनांक 29.07.2008 द्वारा दिनांक 01.07.2008 से 47 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की गई है ।

राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के ऐसे पेंशनर/परिवार पेंशनरों को जो छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 के अनुसार प्रत्याशित पेंशन/पेंशन प्राप्त कर रहे है के लिए निम्नानुसार दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की जाये -

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत की दर प्रतिमाह
दिनांक 01-01-2009 से	पेंशन/परिवार पेंशन का 54 प्रतिशत
दिनांक 01-10-2009 से	पेंशन/परिवार पेंशन का 64 प्रतिशत
दिनांक 01-04-2010 से	पेंशन/परिवार पेंशन का 73 प्रतिशत
दिनांक 01-10-2010 से	पेंशन/परिवार पेंशन का 87 प्रतिशत
दिनांक 01-04-2011 से	पेंशन/परिवार पेंशन का 103 प्रतिशत

2/ उपरोक्त मंहगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation)सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी । सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी इस मंहगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त मंहगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी. 6/43/76/नियम-2/चार, दिनांक 5-10-76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी । ऐसे मामलों में जहां पेंशन/परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त/पुनर्नियुक्त है, वहां पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी । कोई व्यक्ति यदि उसके पति/पत्नी की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकंपा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे मंहगाई राहत की पात्रता होगी । यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी । इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/10/76/नियम-2/चार, दिनांक 27-7-76 सहपठित ज्ञापन एफ.बी.6/10/77/नि -2/चार, दिनांक 2-5-77 एवं ज्ञापन क्रमांक 211/379/वित्त/नियम/चार/2009, दिनांक 20-7-2009 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

3/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें मंहगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी।

4/ यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लागू होंगे, जिन्होंने उपक्रमों/स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निगमों आदि में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 144/97/वित्त/नियम/चार/2007, दिनांक 5-6-2007 के अन्तर्गत पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गये हैं ।

5/ मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा ।

6/ राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों/उप कोषालय अधिकारियों/ पेंशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृ.क्र. ई-4/1-83/नि-5/चार, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार छत्तीसगढ़ कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को

ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत मंहगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें । भुगतान उपरांत पूर्वानुसार महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राधिकार प्राप्त होने पर मंहगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जाये । यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जावे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के. चक्रवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

शासकीय मुद्रणालय, रायपुर— 26 —05/2012—2000.